संख्या-53/2016-1731ई-2/तेरह-2016-80/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 09 अगस्त,2016

विषयः- मेसर्स जुबिलेन्ट लाइफ साइंसेज लि0, गजरौला, अमरोहा द्वारा आसवनी परिसर में अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट लगाये जाने एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट/एस0डी0एस0 के विक्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-35/दो-प्रा0डी0-11, दिनांक 21 जून,2016 तथा पत्र संख्या-जी-56/दो-प्रा0डी0-11, दिनांक 28 जुलाई,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 जुबिलेन्ट लाइफ साइंसेज लि0, गजरौला, अमरोहा को उनकी अधिष्ठापित क्षमता 1148 लाख बल्क लीटर के अन्तर्गत ही शासनादेश संख्या-615 ई-2/तेरह-2002, दिनांक 23-3-2002 द्वारा 165 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट के स्थान पर 150 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 495 लाख लीटर (330 कार्यकारी दिवस के आधार पर) वार्षिक क्षमता के अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट स्थापित करने तथा अब्सोल्यूट अल्कोहल (विकृत/अविकृत), रेक्टिफाइड स्प्रिट/एस0डी0एस0 का विक्रय किये जाने की अनुमति अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in